

मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल म.प्र.

क्रमांक/820 /514/2017/50-2
प्रति,

भोपाल,दिनांक 4/4/17

कलेक्टर,
जिला-समस्त (म.प्र.)

विषय:- शहरी क्षेत्र की आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्व सहायता समूहों के माध्यम से पूरक पोषण आहार व्यवस्था के संबंध में।

संदर्भ:- मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के आदेश क्र.एफ 4-5/ 2014/ 50-2,दिनांक 24.2.14,पत्र क्र.26/2126/14/50-2, दिनांक 03.01.15, एवं पत्र क्र.1854/ 2132/16/50-2, दिनांक 05.08.16, पत्र क्र.एफ 2504/2773/ 2016/50-2,दि. 06.10. 16,पत्र क्र.एफ 4640/ 2016/50-2,दिनांक 02.11.16, पत्र क्र.एफ 2902/2778/ 2016 / 50-2,दिनांक 22.11.16, एवं संचालनालयीन पत्र क्र./पो.आ./4468/15,दिनांक 07.11.15।

शहरी क्षेत्र की आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्व सहायता समूहों एवं महिला मण्डल के माध्यम से पूरक पोषण आहार प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। कई शहरी क्षेत्रों में पुराने अनुबंध वाली संस्थाओं द्वारा ही पोषण आहार प्रदाय किया जा रहा है अर्थात् कई वर्षों से प्रदायकर्ताओं की समीक्षा एवं नवीनीकरण की कार्यवाही नहीं हो सकी है।

कृपया वर्तमान में शहरी क्षेत्रों की आंगनवाड़ी केन्द्रों में पोषण आहार प्रदायकर्ता स्व-सहायता समूहों के गुण दोष के आधार पर समीक्षा कर नियमानुसार स्व सहायता समूहों के चयन की कार्यवाही करें एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2017-18 में माह अप्रैल 2017 से अनुबंध नवीनीकरण करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(रवीन्द्र सिंह)
उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

महिला एवं बाल विकास विभाग
भोपाल,दिनांक 4/4/17

पृष्ठां.क्रमांक/ 820 /514/2017/50-2
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त,संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा (म.प्र.) भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. संभागीय संयुक्त संचालक,एकीकृत बाल विकास सेवा संभाग समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. जिला कार्यक्रम अधिकारी,एकीकृत बाल विकास सेवा,जिला-समस्त (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. समस्त परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना जिला समस्त म.प्र. की ओर पालनार्थ ।

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

महिला एवं बाल विकास विभाग